राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी महेन्द्र सिंह पूर्व से अनुपस्थित।

प्रकरण आज आरोपी महेन्द्र की अनुपस्थिति पर विचार हेतु नियत है।

आरोपी महिन्द्र की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट अदम् तामील फरारी पंचनामा सहित इस टीप के साथ दिनांक : 16/01/2017 को वापस प्राप्त हुये थे कि " वारंटी के निवास स्थान पर जाकर तलाश करने पर नहीं मिला, बाहर ड्रायवरी करने जाना बताया, इस वावत् फरारी पंचनामा बनाया गया"।

इस वावत् वारंट निष्पादनकर्ता एवं फरारी पंचनामा लेखबद्ध करने वाले थाना गोहद चौराहा के सहायक उप निरीक्षक रामकुमार पाठक की फरारी साक्ष्य अंकित की गई।

गिरफ्तारी वारंट पर अंकित टीप, फरारी पंचनामा के तथ्यों एवं रामकुमार पाठक की फरारी साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त आरोपी महेन्द्र फरार हो गया है या अपने को छिपा रहे है, जिससे ऐसे गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सके। सहायक उपनिरीक्षक रामकुमार पाठक द्वारा उसके फरारी साक्ष्य में यह दर्शित किया गया है कि "आरोपी लगभग डेढ़ साल से अपने गांव में दिये गये पते पर नहीं रह रहा है"।

उपरोक्त विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि आरोपी महेन्द्र अपनी उपस्थिति छुपाने के लिए फरार हो गया है और उनके निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी दशा में प्रकरण में आरोपी महेन्द्र की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्थाई वारंट जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः आरोपी महेन्द्र की उपस्थिति के स्थाई वारंट जारी किया जाये।

प्रकरण आरोपी महेन्द्र के उपस्थित होने तक अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

अभिलेख पर लाल स्याही से यह टीप अंकित कि जाये कि प्रकरण में आरोपी महेन्द्र फरार है, इसलिए अभिलेख सुरक्षित रखा जाये।